प्रेषक,

मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
(जनपद शामली, गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर)
उ0प्र0।

पत्रांकः–1108 /एसएलडीसी/2015–16 लखनऊ दिनांक08 फरवरी, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवशेष अवधि में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के विभिन्न घटकों में उपलब्ध धनराशि का सामयिक सदुपयोग सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के विभिन्न घटकों में अवशेष धनराशि का ससमय से सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.02.2016 एवं 05.02.2016 को कार्य योजना दिवस के रूप में मनाते हुये समस्त घटकों की कार्य योजना का टाइम फ्रेम तैयार किया गया है, ताकि मिशन मोड में आईडब्ल्यूएमपी के विभिन्न घटक के कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। तैयार कार्य योजना में दिनांक 15.03.2016 तक वाटरशेड विकास कार्य मद के अन्तर्गत 1500 स्थायी प्रकृति की दीर्घावधिक जल संचय संरचनाओं का निर्माण करने तथा आजीविका संवर्द्धन अन्तर्गत 1500 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 10,000 लाभग्राही वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराते हुये आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु माह फरवरी, 2016 में एसएलएनए से डब्ल्यूसीडीसी को धनराशि हस्तान्तरित की गयी है। पूर्व में उपलब्ध धनराशि को सम्मिलित करते हुये समस्त धनराशि के सापेक्ष तैयार कार्य योजना के अनुरूप दिनांक 15.03.2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना है। समय से कार्य पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक है कि एसएलएनए से डब्ल्यूसीडीसी को उपलब्ध करायी गयी समस्त धनराशि पीआईए एवं सम्बन्धित डब्ल्यूसी के खातों में दिनांक 15.02.2016 तक अन्तरित करा दिया जाये।

3. पीआईए द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की समीक्षा डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर करके इसका अनुमोदन प्रत्येक दशा में दिनांक 15.02.2016 तक कर दिया जाये, ताकि पीआईए निष्पादन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर सके।

कार्यों का समय से अनुश्रवण/निरीक्षण कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि गुणवत्तायुक्त कार्य नियत अवधि में पूर्ण किया जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि कार्यक्रम को महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये कार्ययोजना के अनुरूप डब्ल्यूसीडीसी से पीआईए तथा सम्बन्धित डब्ल्यूसी के खातों में धनराशि तत्काल अन्तरित करने तथा कार्य योजना का परीक्षण कराकर दिनांक 15.02.2016 तक अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, साथ ही जनपद स्तर के तकनीकी अधिकारियों की समिति बनाकर कार्यों का नियमित निरीक्षण/अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(मुख्य सचिव)
उ0प्र शासन